2.2

प्रपत्र–3

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कांडा रावतसेरा मार्ग के कोटपातल बैन्ड से भदौरा बाजीरोड मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

शासनादेश की प्रमाणित फोटोप्रति संलग्न है।

सहायक अभियंता	अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0	प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर	बागेश्वर

कार्यालय जिलाधिकारी
बागेश्वर
संख्या 318...दिनांक 20-10-2010

2.2

(2)

संख्याः– 5966 / III(2)/10–18(प्रा0आ0)/2010टी0सी0–V

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 11 अक्टूबर, 2010

विषयः– **जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र काण्डा के अन्तर्गत विभिन्न 08 कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रक्रियात्मक कार्यों के सापेक्ष व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, कुमायूँ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–काण्डा के अन्तर्गत संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये 08 प्रस्ताव के नवनिर्माण पर प्रशासकीय अनुमोदन देते हुए प्रथम चरण के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आगणनों, जिसमें प्रक्रियात्मक कार्यो यथा विस्तृत आगणन का गठन, वन भूमि हस्तान्तरण, भू–अधिग्रहण, यूटीलिटी शिफ्टिंग, मृदा परीक्षण, भू–वैज्ञानिक की रिपोर्ट, कन्सलटैन्सी आदि मदों, के लिये आंकलित की गई धनराशि ₹ 252.00 लाख है, के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि रू0 252.00 लाख (रू0 दो करोड़ बावन लाख मात्र) है, पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्रति कार्य रू0 0.01 लाख अर्थात कुल 08 कार्यो हेतु रू0 0.08 लाख (रू0 आठ हजार मात्र) के व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0:– 1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट मे स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

7– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

3

8– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9– स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

10– इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़कें –आयोजनागत –800–अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर– 02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

11– यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 518/XXVII/(2)/2010 दि0: 07अक्टूबर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या:– 5966 (1)/III(2)/10–18 (प्रा0आ0)/2010 टी0सी0–V तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2– निजी सचिव, सचिव लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, नैनीताल।
4– जिलाधिकारी, जनपद बागेश्वर।
5– मुख्य अभियन्ता, कुमायूं क्षेत्र, लो.नि.वि. अल्मोड़ा।
6– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जनपद बागेश्वर/देहरादून।
7– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
9– अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा।
10– लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन ।
11– गार्ड बुक।

2548
28-10-2010

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

RM 146/AJA/10 दि0 25-10-2010
EE P.W.D. बागेश्वर

JE(T)

कृ0 उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

27.10.10

E.E.
26/10

प्रभारी अधिकारी

कोषाधिकारी/प्रभारी

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण खण्ड लो0 नि0 वि0
बागेश्वर

शासनादेश संख्या–5966 / III(2) / 10–18(प्रा0आ0) / 2010 टी0सी0–V दि0 11 अक्टूबर, 2010
का संलग्नक

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	अनुमोदित लागत (लाख ₹ में)	वित्तीय वर्ष 2010–11 में व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि (लाख ₹ में)
01	02	03	04	05
01	जनपद बागेश्वर में भीड़ी से राजकीय पाठशाला किमोली तक 2 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	25.20	0.01
02	जनपद बागेश्वर में देवतोली से ढ्यागा तक 3 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	37.80	0.01
03	जनपद बागेश्वर में मोहननगर से तुनेडा–बसेत तक मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	37.80	0.01
04	जनपद बागेश्वर में विजयपुर से धौलीनाग मंदिर तक मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	37.80	0.01
05	जनपद बागेश्वर में खाती गॉव से कपूरी तक 2 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	25.20	0.01
06	जनपद बागेश्वर में रावतसेरा मोटर मार्ग के किमी0 18 से खोलाखेत बैतोली तक मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	25.20	0.01
07	जनपद बागेश्वर में काण्डा रावतसेरा से पाली बग्याली तक मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	25.20	0.01
08	जनपद बागेश्वर मे काण्डा सनिउडियार मोटर मार्ग से भदौना [illegible] तक [illegible]	3.00	37.80	0.01
	योगः–	20.00	252.00	0.08

(कुल ₹ आठ हजार मात्र)

(प्रदीप सिंह रावत)
उपसचिव

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
बागेश्वर

PD Bag - 28 CD Kapkot 4/8

कार्यालय ज्ञाप

जिला योजना 2010–11 की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने विषयक शासनादेश 624 / रा.यो.आ. / मु.स. / 2008 दिनांक 24.03.2008 तथा शासनादेश संख्या 1715/ III (2)/ 10-02 (बजट)/ 2010 दिनांक 09.04.2010 में निहित प्राविधानों के तहत अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खंड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर के पत्रांक 244 / जिला योजना / 10–11 दिनांक 14.07.2010 द्वारा जिला सड़क सलाहकार एवं समिति की बैठक दिनांक 19.07.2010 को आयोजित की गयी थी जिसमें समिति द्वारा लोक निर्माण विभाग अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में मार्गों के नव निर्माण / पुनःनिर्माण एवं डामरीकरण तथा पुल–पुलियों के निर्माण हेतु 610.44.लाख के कार्य अनुमोदित किये गये है। तदनुसार अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खंड, लो.नि.वि., बागेश्वर मोटर मार्गों के नव निर्माण, पुनःनिर्माण / डामरीकरण तथा पुल–पुलियों के निर्माण हेतु रू0 610.44 लाख के कुल कार्यों के लिए प्रारम्भिक आंगणन प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की रिर्पोर्ट एवं शासनादेश संख्या 205/ xxvii (1)/ दिनांक 25.03.2009, शासनादेश संख्या 1715/ III (2)/ 10-02 (बजट)/ 2010 दिनांक 09.04.2010 में प्राविधानों के अनुसार तथा तकनीकी समिति द्वारा आंगणन की जांच उपरान्त संलग्न सूची में उल्लिखित कुल कार्यों के लिए उनके आगे अंकित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि स्वीकृत कार्यों के लिए अलग–अलग विस्तृत आंगणन गठित कर एवं उस पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **"वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय व्ययक के अनुदान संख्या 22 शीर्षक– 5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय– 04 जिला तथा अन्य सड़कें– आयोजनागत– 800-अन्य व्यय–91 जिला योजना– 00– 24 बृहत निर्माण कार्य"** मद के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 205/ xxvii (1)/ 2009 दिनांक 25.03.2 उल्लिखित निर्देशानुसार जारी किये जा रहे है।

उपरोक्त जिला योजना में उल्लिखित 72 कार्यों के कियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 171 (2)/ 10-02 (बजट)/ 2010 दिनांक 09.04.2010 में दी गयी अन्य सभी शर्तों का पूर्ण अनुपालन किया ज कार्यों की वित्तीय / भौतिक प्रगति नियमानुसार शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(डी.एस.गर्ब्याल)
जिला अधिकारी
बागेश्वर

कार्यालय जिला अधिकारी, बागेश्वर

संख्या 929 / जिला योजना / 2010–11 दिनांक अगस्त, 17, 2010

प्रतिलिपि कार्यों की सूंची सहित् निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड शासन, देहरादून।
2– सचिव, वित्त, उत्तराखंड शासन, देहरादून।
3– सचिव, नियोजन, उत्तराखंड शासन, देहरादून।
4– महालेखाकार, (लेखा प्रथम) ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
5– मुख्य अभियंता, स्तर–1, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6– संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखंड शासन, देहरादून।
7– निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, देहरादून।
8– आयुक्त, कुमाऊँ मंडल, नैनीताल।
9– मुख्य अभियंता, कुमाऊँ क्षेत्र, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।
10– निदेशक, अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखंड, देहरादून।
11– संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं संख्या, कुमायू मंडल, हल्द्वानी।
12– बरिष्ट कोषाधिकारी, बागेश्वर।
13– अधीक्षण अभियंता, प्रथम वृत, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
14– अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0, बागेश्वर।
15– अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लो0नि0वि0, कपकोट।
16– जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, बागेश्वर।

17/8/2010
जिला अधिकारी
बागेश्वर

संलग्न - 1 सूची

जनपद बागेश्वर में जिला योजना 2010–11 के लिए जारी की गयी स्वीकृति आदेश का संलग्नक।

क्र.सं.	कार्य का नाम	लम्बाई कि. मी. /मी0	लागत (लाख रू)
1	**विधान सभा, बागेश्वर**		
1	बैजनाथ–बागेश्वर–बेरीनाग मोटर मार्ग के कि0मी0 1 (बैजनाथ तिराहा) में 10 मीटर आर.सी.सी. पुल का निर्माण।	1 No.	11.98
2	राज्य अतिथिगृह कौसानी पहुँच मार्ग में सी.सी. पक्की नाली का निर्माण(3 कि.मी.)	1 Job.	20.00
3	डंगोली–सैलानी–दाड़िमखेत मोटर मार्ग के कि.मी. 23 में 8 मीटर स्पान आर.सी. सी. मोटर पुल का निर्माण।	1 No.	10.00
4	डंगोली–सैलानी मोटर मार्ग के कि.मी. 22 में टौपकोट तथा पेन्टिंग स्तर का कार्य	2.00	20.00
5	एस0सी0पी0 के अन्तर्गत ग्राम सभा पन्द्रहपाली के ठंडा पानी तोक में 24 मीटर विस्तार पैदल पुल का अवशेष कार्य।	1 Job.	10.00
6	एस0सी0पी0 के अन्तर्गत हरिनगरी–कुलाऊँ–ग्वालदम मोटर मार्ग के कि0मी0 10 (आवादी भाग) का डामरीकरण।	1.00	21.50
7	निरीक्षण भवन, बागेश्वर के नव निर्मित डोरमैट्री एवं किचन का अवशेष कार्य एवं साज सज्जा।	1 Job.	15.00
8	त्यूमरा गधेरे से अग्निकुंड तक मोटर मार्ग का अवशेष कार्य	1 Job.	10.00
9	जिला अस्पताल बागेश्वर के निकट सरयू नदी पर मोटर सेतु निर्माण के अन्तर्गत जिला पंचायत की दुकानों के पुनः निर्माण हेतु मुआवजा (द्वितीय किस्त)	1 Job.	20.00
10	गरूड़–धैना–लखनी मोटर मार्ग से शान्ति बाजार तक 3 मीटर चौड़े सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	0.300	10.00
11	टी0आर0सी0 कौसानी से कौसानी–भतड़िया मोटर मार्ग सौली तक 3 मीटर चौड़े सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	0.500	16.00
12	टी0आर0सी0 बैजनाथ के पहुँच मार्ग में पेन्टिंग स्तर तक का कार्य।	0.100	5.00
13	एस0सी0पी0 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत थापल बेजवाड़ में भाग चन्द राम के मकान के पास 6 मीटर पुलिया का निर्माण।	1 No.	9.00
14	निर्माणाधीन तहसील भवन गरूड़ की सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण।	1 Job.	15.00
15	भिलकोट– अमस्यारी मोटर मार्ग का डामरीकरण।	1.00	10.00
	विधान सभा बागेश्वर का योग	**4.90+ 3No. + 6 Job.**	**203.48**
2	**विधान सभा, कांडा**		
16	भाकड़पंत से ससौला– बिजयपुर– खन्तोली मोटर मार्ग के कि0मी0 1 में मिलान (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु)	6.00	1.00
17	कांडा–सानिउडियार–रावतसेरा मोटर मार्ग के कि0मी0 5 (कोटपातल बैन्ड से भदौरा– वाजीरोड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण (वन भूमि हस्तान्तरण हेतु)	5.00	1.00
18	बागेश्वर– दफौट मोटर मार्ग के कि0मी0 8 में 6 मीटर विस्तार आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1 No.	5.00
19	बागेश्वर– दफौट मोटर मार्ग के कि0मी0 24 में 6 मीटर विस्तार आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1 No.	5.00
20	बागेश्वर– दफौट मोटर मार्ग के कि0मी0 25 में 10 मीटर विस्तार आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	1 No.	12.00
21	करासघट से करास माफी तक मोटर मार्ग का निर्माण। (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु)	4.00	0.50
22	बांसपटान–रावतसेरा मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से रावतसेरा ग्राम तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (सर्वेक्षण कार्य)	1.00	1.50

50	सुधारीकरण के अन्तर्गत सरन से बघर पैदल मार्ग में सी0सी0 का कार्य	1.00	7.0
51	सुधारीकरण के अन्तर्गत कमेड़ीदेवी–स्याकोट मोटर मार्ग से भन्तोला को जाने वाले मार्ग पर सी0सी0 का कार्य।	0.600	7.0
52	सुन्दरढूंगा पैदल मार्ग में पैदल पुलिया का निर्माण।	1 No.	2.0
53	खाती गधेरे में पैदल पुलिया का निर्माण कार्य।	1 No.	2.0
54	सुधारीकरण में गैरखेत झूलापुल से लखमरा तक सी.सी. मार्ग का कार्य	0.500	4.0
55	एस0सी0पी0 के अन्तर्गत कपकोट में घाट का निर्माण कार्य।	1 Job.	5.0
56	नाचनी चेताबगड़ मोटर मार्ग का विस्तार चेताबगड़ तक पहाड़ कटान का कार्य (केवल नाप भूमि में)	2.500	2.0
57	सामा से सामा गांव तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण।	0.500	5.0
58	सुधारीकरण के अन्तर्गत उडियारी से सिरखेत तक पैदल मार्ग व सी.सी. का कार्य।	0.500	4.0
59	सुधारीकरण के अन्तर्गत पोथिंग चौराधार से मां भगवती मंदिर तक पैदल मार्ग व सी.सी. कार्य।	1.00	5.0
60	सोंग–खलीधार मार्ग से चौड़ा तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु)	4.00	0.5
61	कपकोट में अधिशासी अभियंता आवास का निर्माण (प्रथम किस्त)	1 Job.	10.0
62	भराड़ी बाजार में टैक्सी स्टैन्ड का निर्माण।	1 Job.	7.0
63	लीती लिंक मोटर मार्ग का विस्तार 3 कि0मी0 पहाड़ कटान का कार्य (केवल नाप भूमि में।)	3.00	9.0
64	झोपड़ा– शिखर मोटर मार्ग का विस्तार वास्ती तक। (वन भूमि हस्तान्तरण हेतु)	6.00	0.5
65	दोफाड़–धरमघर मोटर मार्ग से छिपछिया तक मोटर मार्ग का निर्माण (वन भूमि हस्तान्तरण हेतु)	4.00	0.50
66	फरसाली गैंगहट से किरौली धूरा तक मोटर मार्ग का निर्माण (वन भूमि हस्तान्तरण हेतु)	4.00	0.50
67	कपकोट–भराड़ी–सामा मोटर मार्ग से पुगराड़ी गुलेर तक मोटर मार्ग का निर्माण (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु)	8.00	1.00
68	पाली जमन सिहं के मकान से पाली होते हुए लीमा तक मोटर मार्ग का निर्माण (वन भूमि हस्तान्तरण हेतु)	4.00	0.50
69	तप्तकुंड से सुमगड़ पतियासार में मोटर मार्ग का निर्माण (वन भूमि हस्तान्तरण हेतु)	4.00	0.50
70	जारती से धरमघर मोटर मार्ग में मिलान (वन भूमि हस्तान्तरण हेतु)	5.00	0.50
71	हिसवाडी यात्री शैड से पगराड़ी गुरसुटी तक मोटर मार्ग का निर्माण (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु)	8.00	0.50
72	भयूँ–गुलेर मोटर मार्ग के हितगघाट से परगड़ा भैसोड़ी नरगड़ा मिलान (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु)	6.00	0.50
	विधान सभा कपकोट का योग	**76.40+ 2 No.+ 5Job.**	**203.4**
	कुल योग –(कुल रूपये छः सौ दस लाख चौवालीस हजार मात्र)		**610.4**

कार्यदायी संस्था

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0

जिला अधिकारी,
बागेश्वर